मध्यप्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

चतुर्दश विधान सभा पंचम सत्र

फरवरी-मार्च, 2015 सत्र

बुधवार, दिनांक 18 फरवरी, 2015

(29 माघ, शक संवत् 1936)

[खण्ड- 5] [अंक- 1]

मध्यप्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 18 फरवरी, 2015

(29 माघ, शक संवत् 1936)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.33 बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.}

राष्ट्रगीत

राष्ट्रगीत 'वंदेमातरम्' का गायन

अध्यक्ष महोदय - अब राष्ट्रगीत 'वंदेमातरम्' होगा. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं.

(सदन में राष्ट्रगीत 'वंदेमातरम्' का समूह गान किया गया.)

अध्यक्ष महोदय - अब सदन राज्यपाल महोदय के आगमन की प्रतीक्षा करेगा.

(सदन द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय के आगमन की प्रतीक्षा की गई.)

समय 10.45 बजे.

(माननीय राज्यपाल महोदय का चल समारोह के साथ सदन में आगमन)

(माननीय राज्यपाल महोदय के आगमन के दौरान माननीय सदस्य श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, डॉ.गोविन्द सिंह एवं श्री आरिफ अकील अपने-अपने आसन पर बैठे रहे)

अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा अभिभाषण का प्रथम एवं अंतिम पैरा पढ़ा जाना

अध्यक्ष महोदय -- माननीय सदस्यगण स्वास्थ्यगत कारणों से माननीय राज्यपाल महोदय अभिभाषण का प्रथम एवं अंतिम पैरा पढ़ेंगे शेष अभिभाषण पढ़ा हुआ माना जायेगा.

समय 10.46 बजे.

बहिर्गमन

इण्डियन नेश्नल कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा व्यापम मामले को लेकर बहिर्गमन

श्री रामनिवास रावत -- अध्यक्ष महोदय प्रदेश में व्यापम के भ्रष्टाचार से (XX). यह प्रदेश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है. इसलिए हम कांग्रेस के सदस्य माननीय का भाषण नहीं सुन रहे हैं.....(व्यवधान).. (XX) इसलिए हम कांग्रेस के समस्त सदस्य बहिर्गमन करते हैं....(व्यवधान)....

(नेता प्रतिपक्ष श्री सत्यदेव कटारे के नेतृत्व में इण्डियन नेश्नल कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा व्यापम मामले को लेकर बहिर्गमन किया गया)

(XX) : विलोपित

माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण

माननीय राज्यपाल महोदय (श्री रामनरेश यादव) –

माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सदस्यगण,

1. चौदहवीं विधानसभा के इस दूसरे बजट सत्र में सभी माननीय सदस्यों का स्वागत - वंदन - अभिनंदन। प्रदेश की गौरवशाली परम्परा के अनुरूप लोकसभा निर्वाचन के साथ हाल ही में नगरीय निकायों के निर्वाचन शांतिपूर्ण सम्पन्न हुए हैं। त्रि-स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव अंतिम चरण में हैं। यह प्रदेश में दिनों दिन मजबूत होते लोकतंत्र का संकेत है।
2. मेरी सरकार ने पिछले एक साल में जनता के विश्वास पर खरा उतरने की सार्थक कोशिशें की हैं। जन-संकल्प 2013 और दृष्टि-पत्र 2018 को ध्यान में रखकर इस एक साल में तेजी से काम किया गया है।

3. राज्य की वित्तीय स्थिति संतोषजनक बनी हुई है। सरकार राज्य की जरूरत के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने में सक्षम है। वर्ष 2003-04 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जहाँ रुपये 1 लाख 02 हजार 839 करोड़ था वहीं वर्ष 2013-14 में चार गुना बढ़कर रुपये 4 लाख 50 हजार 900 करोड़ अनुमानित है। पिछले वित्त वर्ष में राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 11.08 प्रतिशत रही। मेरी सरकार के पूंजीगत व्यय के प्रतिशत में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है जो प्रदेश के चहुंमुखी विकास का द्योतक है।

4. मेरी सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन का परिणाम है कि राज्य ने दस वर्ष में ओवर ड्राफ्ट नहीं लिया है। वर्ष 2003-04 में रुपये 4,475 करोड़ का राजस्व घाटा था जबकि इस वर्ष में 4,479 करोड़ का राजस्व आधिक्य अनुमानित है।

5. मेरी सरकार ने वर्ष 2006-07 से राजकोषीय घाटे की सीमा में रहकर कार्य किया है। अब 99 प्रतिशत शासकीय भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो रहा है।
6. प्रदेश में प्रत्येक परिवार को वित्तीय समावेशन के दायरे में लाने की पुरजोर कार्यवाही की गयी है।
7. मध्यप्रदेश में बगैर बैंक खाते वाले चिन्हित 49 लाख 47 हजार परिवारों का बैंक में खाता खोल कर प्रदेश के सौ फीसदी परिवारों को बैंक से जोड़ा गया है। अभी तक प्रधानमंत्री जनधन योजना अंतर्गत 1 करोड 41 हजार खाते खोले जा चुके हैं।
8. मेरी सरकार प्रदेश में खेती-किसानी के लिए सुविधाजनक माहौल बनाने में सफल हो रही है। इस वर्ष 15000 करोड़ के फसल ऋण दिये जा रहे हैं। सभी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में कोर बैंकिंग की सुविधा शुरू हो गई है। सभी 4522 प्राथमिक कृषि साख समितियों के कम्प्यूटराइजेशन की कार्यवाही प्रचलित है।

9. अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2013-14 में हमारी कृषि सम्बधी प्राथमिक क्षेत्र की विकास दर 24.99 फीसदी रही, जो अभूतपूर्व है। वर्ष 2013-14 में गेहूँ उत्पादन के क्षेत्र में श्रेष्ठ काम के लिये प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड मिला। यह अवार्ड प्रदेश को लगातार तीसरी बार मिला है।

10. पिछले साल से खरीफ का रक्बा 4.08 लाख हेक्टेयर अधिक है। वर्ष 2014 खरीफ में 14 लाख क्विंटल से ज्यादा और रबी में 19 लाख क्विंटल से ज्यादा बीज बाँटा गया। खरीफ 2014 के लिये 22.40 लाख मीट्रिक टन उर्वरक तथा रबी के लिये अभी तक 15.40 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरित किया गया। खरीफ में धान उत्पादन 57 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा आँका गया है, जो पिछले साल से साढ़े छह फीसदी अधिक है।

11. किसानों को खेती की नई तकनीकों से अवगत करवाने के लिये जनवरी, 2014 से "मुख्यमंत्री खेत-तीर्थ" योजना लागू की गई है। मनरेगा के

सहयोग से "मेरा खेत - मेरी माटी" योजना शुरू की गई है।

12. मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी है कि जैविक खेती उत्पादन में मध्यप्रदेश देश में सबसे आगे है। देश के जैविक खेती उत्पादन में प्रदेश की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत है।

13. मेरी सरकार ने किसानों को खेती की नई तकनीकों की जानकारी देने और कृषि वैज्ञानिकों तथा किसानों के बीच सीधे संवाद के उद्देश्य से 25 सितम्बर से 20 अक्टूबर तक कृषि महोत्सव मनाया। इसमें 30 हजार गाँव में कृषि क्रांति रथों ने भ्रमण किया। इस दौरान किसानों को 2 लाख 56 हजार से ज्यादा कृषि मिनी-किट, 6 लाख 70 हजार उद्यानिकी मिनी-किट और 2 लाख 85 हजार किसान क्रेडिट-कार्ड दिये गये।

14. मेरी सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए उद्यानिकी के विकास को जरूरी मानती है। इस वर्ष 29 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में फल-सब्जी और मसाला क्षेत्र का विस्तार किया गया है। अगले साल यह

काम 66 हजार हेक्टेयर में करने का लक्ष्य है। औषधीय एवं सुगंधित फसल क्षेत्र का भी 1400 हेक्टेयर में विस्तार किया जायेगा।

15. मेरी सरकार पशुधन के संरक्षण-संवर्द्धन को कृषि को लाभदायी बनाने का अहम प्रयास मानती है। आज प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश में छठवें स्थान पर है। इस साल दुग्ध उत्पादन वृद्धि दर अभी तक 11 प्रतिशत प्राप्त रही है। पशु चिकित्सा सेवाओं का कवरेज वर्तमान 48 से बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर लिया जाएगा। इस वर्ष 36 नये पशु औषधालय की स्थापना की गई है। साथ ही 40 जिला स्तरीय पशु चिकित्सालय को पॉली क्लीनिक्स का स्वरूप दिया गया। दस नये जिलों में पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला स्थापित की जायेगी। इस साल दुग्ध संकलन अभी तक 40 प्रतिशत बढ़ा है।

16. इस साल प्रदेश में 1801 हेक्टेयर जल-क्षेत्र विकसित करने के साथ ही 9200 लाख स्टेण्डर्ड फ्राई मत्स्य-बीज तथा एक लाख टन से ज्यादा मत्स्योत्पादन किया गया। लगभग पौने दो लाख

मछुआरों को दुर्घटना बीमा का लाभ दिया गया। सरकार द्वारा मछुआरों को भी शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कर्ज दिया जा रहा है। इसके लिए 38 हजार 337 मछुआ क्रेडिट कार्ड बनाए जा चुके हैं।

17. मेरी सरकार वर्ष 2018 तक 40 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित करने के लक्ष्य पूर्ति के लिए तेजी से काम कर रही है। इस वर्ष अल्प-वर्षा के बावजूद भी जल संसाधन विभाग और नर्मदा घाटी विकास विभाग की सिंचाई परियोजनाओं से 27 लाख 40 हजार हेक्टेयर में रबी सिंचाई की गई है जो पिछले साल की तुलना में सवा लाख हेक्टेयर ज्यादा है। इस वर्ष एक लाख 75 हजार हेक्टेयर नई सिंचाई क्षमता निर्मित कर ली गई है। इस साल 150 के लक्ष्य के विरूद्ध 197 लघु सिंचाई परियोजनाएँ पूरी की जा चुकी हैं।

18. सरकार ने सभी मध्यम एवं वृहद परियोजनाओं में नहरों की लाइनिंग का निर्णय लिया है। साथ ही 64 लघु सिंचाई परियोजना के सुदृढ़ीकरण,

पुनर्रूद्धार एवं क्षमता वृद्धि के कार्य पूरे किये गये हैं।

19. मेरी सरकार ने प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा नदी के जल के उपयोग के लिए सुविचारित तरीके से काम किया है। रुपये 551 करोड़ की खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के प्रथम चरण का निर्माण पूर्ण कर 9387 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई जल प्रदाय शुरू हो गया है।

20. मालवा अँचल की 2143 करोड़ से ज्यादा की नर्मदा-मालवा-गम्भीर लिंक परियोजना को स्वीकृति दे दी गई है। परियोजना से इन्दौर और उज्जैन जिलों में 50 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी। वर्तमान में इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, बरगी, डायवर्जन नहर प्रणाली निर्माण के साथ ही लोअरगोई, हालोन बाँध परियोजनाओं तथा खरगोन उद्वहन द्वितीय चरण का कार्य जारी है। मेरी सरकार ने अगले साल नर्मदा योजनाओं से 60 हजार हेक्टेयर नई सिंचाई क्षमता निर्मित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

21. मेरी सरकार को कृषि उत्पादन में मिली सफलताओं में जल ग्रहण क्षेत्र का भी योगदान है। प्रदेश में 29 लाख से ज्यादा हेक्टेयर वर्षा आधारित कृषि क्षेत्र में एकीकृत जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम का विस्तार किया गया है। कार्यक्रम में 3480 करोड़ की 511 परियोजनाएँ संचालित हैं। कार्यक्रम क्षेत्र की कृषि उत्पादकता में 25 से 28 फीसदी की वृद्धि हुई है।

22. मेरी सरकार ने अटल ज्योति अभियान के जरिये जून, 2013 से गैर-कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे विद्युत प्रदाय सुनिश्चित किया है। इस साल दिसम्बर तक विद्युत की उपलब्धता में 1595 मेगावॉट की बढ़ोत्तरी की गयी है। प्रदेश में ट्रांसमिशन प्रणाली की उपलब्धता भी 99 प्रतिशत के स्तर पर बनाये रखी गयी है।

23. वर्ष 2018 तक प्रदेश की विद्युत क्षमता 18 हजार मेगावॉट से अधिक तथा पारेषण प्रणाली की क्षमता 16 हजार मेगावॉट से अधिक हो जाएगी।

24. अधोसरंचना कार्यों के फलस्वरूप ट्रांसमिशन हानियों का प्रतिशत प्रदेश में लगभग 3 प्रतिशत के स्तर पर आ गया है जो देश में न्यूनतम है। एटी एंड सी हानियों में सालाना लगभग 2 से 3 प्रतिशत की कमी लाई जा रही है।

25. किसानों को फ्लेट रेट योजना में रुपये 1200 प्रति अश्वशक्ति सालाना के मान से साल में मात्र दो बार छः माही बिल जमा करने की सुविधा दी गयी है। नियामक आयोग द्वारा जारी विद्युत दरों के अंतर की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा वितरण कंपनियों को टेरिफ सब्सिडी के रूप में उपलब्ध करवाई जा रही है। पाँच अश्वशक्ति तक के एक हेक्टेयर तक भूमि वाले अनुसूचित जाति तथा जनजाति के कृषि पम्प उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली दी जा रही है। इस साल टेरिफ सब्सिडी/ निःशुल्क विद्युत प्रदाय मद में वितरण कंपनियों को कुल 4300 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जा रहा है।

26. कृषक समृद्धि योजना में माफ की गई 50 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति के लिए चालू माली साल में 240 करोड़ और बीपीएल उपभोक्ताओं की बकाया राशि की माफी के एवज में रुपये 120 करोड़ का बजट रखा गया है।

27. मेरी सरकार ने प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए नवीन और नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों के दोहन के लिये नयी प्रोत्साहन नीतियाँ बनायी हैं। निर्माणाधीन योजनाओं से मार्च 2017 तक स्थापित क्षमता 5247 मेगावॉट होना संभावित है। इसके बाद कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 4.09 से बढ़कर 21 प्रतिशत हो सकेगी। रीवा जिले की गुढ तहसील में विश्व के सबसे बड़े 750 मेगावॉट क्षमता के अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की स्थापना का कार्य जारी है।

28. मेरी सरकार अधोसंरचना विकास में सड़कों को महत्वपूर्ण मानती है। पिछले साल नगरों एवं कस्बों को जोड़ने के लिए 2800 किलोमीटर नई सड़कें बनीं। कुल 4248 किलोमीटर सड़कों का

नवीनीकरण हुआ और 44 बड़े पुल और रेलवे ओवर ब्रिज बने। ग्राम सम्पर्क सड़क योजना में साढ़े 11 हजार किलोमीटर लंबी सड़कें, पुल-पुलिया सहित बनाई जा चुकी हैं। प्रदेश के 52 हजार से अधिक गाँव में पंच-परमेश्वर योजना में सीमेंट-कांक्रीट के पक्के अंदरूनी मार्ग और नालियाँ बनने से इन गाँवों में स्वच्छता का नया माहौल बना है। योजना में अब तक 9000 किलोमीटर सीसी रोड का निर्माण हो चुका है। खेत सड़क योजना और मजरे-टोलों तक सुगम आवागमन के लिए सुदूर ग्राम संपर्क योजना भी शुरू की गई है।

29. राज्य सरकार ने वर्ष 2013-14 में 4238 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण किया। मुख्यमंत्री युवा इंजीनियर कान्ट्रेक्टर योजना में प्रशिक्षित 120 युवा इंजीनियरों ने ठेकेदारी कार्य के लिए पंजीयन करवाया है।

30. सड़क निर्माण क्षेत्र में जन-निजी भागीदारी ने अग्रणी भूमिका निभायी है। वर्तमान में रुपये 33

हजार करोड़ की परियोजनाओं का क्रियान्वयन विभिन्न चरणों में है।

31. ए.डी.बी. परियोजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण में कुल 3304 किलोमीटर लंबाई का उन्नयन किया गया है। तृतीय चरण में 7 मार्गों पर कार्य पूरा किया जा चुका है। प्रदेश के राज्य मार्गों को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से एक्सीडेंट रिस्पांस सिस्टम एवं ट्रैफिक मैनेजमेंट सेंटर की स्थापना की गई है।

32. प्रदेश को स्वच्छ बनाने के अभियान में 37 लाख से ज्यादा ग्रामीण घरों में व्यक्तिगत शौचालय बन चुके हैं। 3 हजार से अधिक ग्राम पंचायत खुले में शौच की बुराई से मुक्त हो चुकी हैं। स्व-सहायता समूहों के सहयोग से इस साल 3 लाख घर में शौचालय बनाने का अभियान शुरू किया गया है। 10 हजार से अधिक आबादी वाले 31 गाँव में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की योजना शुरू हो रही है।

33. मेरी सरकार ने गाँवों के सुनियोजित विकास के उद्देश्य से प्रदेश के 50 हजार 982 ग्राम के मास्टर प्लान बनाये हैं। इसके लिए प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत हुआ है। प्रदेश की लगभग साढ़े सात करोड़ आबादी में से 5.28 करोड़ लोगों को आधार कार्ड के लिए नामांकित कर 4.78 करोड़ को आधार नम्बर जारी कर दिया गया है।

34. मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन में अब तक 2 लाख से अधिक आवासों का निर्माण पूरा हो गया है। इस साल अभी तक 82 हजार हितग्राहियों को आवासीय ऋण एवं शासकीय अनुदान दिया गया है। मिशन में ऐसे ग्रामीण भी पात्र होंगे जिनकी अधिकतम आय 2 लाख रुपये है। राज्य एवं केन्द्र की सभी आवास योजनाओं में अब तक प्रतिवर्ष 3 लाख आवास बनाए जा रहे हैं।

35. मेरी सरकार ने ग्रामीणों को हर 5 किलोमीटर की दूरी पर बैंकिंग सुविधा का लाभ सुनिश्चित किया है। करीब 2400 अल्ट्रास्माल बैंक के जरिये सरकारी

योजनाओं की सहायता राशि लोगों को अपने गाँवों में ही मिल रही है।

36. इस वित्त वर्ष में माह दिसम्बर तक 2 लाख 16 हजार परिवारों को स्व-सहायता समूहों से जोड़ा गया। साथ ही 16 हजार 871 महिला स्व-सहायता समूहों को बैंकों से 189 करोड़ रुपये के ऋण दिलाए गये। 73 हजार 548 बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये। एक लाख से अधिक परिवारों का भूमि आधारित गतिविधियों में आजीविका सुदृढ़ीकरण किया गया। डेढ़ लाख से अधिक ग्रामीण युवा को रोजगार मेलों के जरिये रोजगार दिलाने के प्रयास हुए हैं। सात हजार युवाओं का चयन सेना में हुआ है।

37. मेरी सरकार ने शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता श्रेणी में रखा है। प्रदेश की 100 प्रतिशत बसाहटों में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा सुविधा सुनिश्चित की गयी है। यह वर्ष शैक्षिक गुणवत्ता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।

38. प्रदेश में कुल एक लाख 21 हजार 693 शालाएं हैं। जिनमें 49 हजार 176 शौचालय इकाईयों का निर्माण शेष था। अब तक 5 हजार 302 इकाईयों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगामी शिक्षा सत्र प्रारंभ होने के पूर्व प्रदेश की समस्त शालाओं में बालक-बालिकाओं के लिये शौचालय उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

39. 50 माध्यमिक शालाओं का हाईस्कूल तथा 100 हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन किया गया है।

40. नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम में अब तक 6 लाख से ज्यादा बच्चों को प्रवेश दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में अनाथ बच्चों के लिए 15 नए 100 सीटर छात्रावास मंजूर किये गये हैं। शासकीय शालाओं में कक्षा 6वीं से 8वीं में पढ़ रहे सामान्य निर्धन वर्ग के छात्र-छात्राओं को भी छात्रवृत्ति दी जा रही है।

41. शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकासखण्डों में स्थापित 201 मॉडल स्कूलों में 40 हजार 550 विद्यार्थी

अध्ययनरत हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत शैक्षणिक सत्र में 87 लाख बच्चों को दो जोड़ी गणवेश की राशि, दो लाख से ज्यादा बच्चों को सायकिल और मुफ्त पाठ्य-पुस्तकें दी गई हैं। करीब 13 हजार नि:शक्त विद्यार्थियों को भी शिक्षा सुविधाएँ दी गई हैं।

42. मेरी सरकार ने पिछले तीन साल में 64 नये कॉलेज तथा पहले से संचालित शासकीय कॉलेजों में 63 नवीन संकाय/विषय शुरू किये हैं। इस वित्त वर्ष में प्रदेश में उच्च शिक्षा का सकल पंजीयन अनुपात 20.04 हो गया है।

43. मेरी सरकार ने कॉलेजों के नेट से मूल्यांकन के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की है। हर संभाग से एक-एक कॉलेज का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से साझेदारी के लिए चयन किया जा रहा है। अब तक 122 कॉलेज एवं एक विश्वविद्यालय में वाई-फाई सुविधा उपलब्ध करवा दी गयी है।

44. दिसम्बर, 2014 तक 30 हजार 569 छात्राओं को गाँव की बेटी तथा 2545 छात्राओं को प्रतिभा

किरण योजना का लाभ मिला है। आवागमन सुविधा योजना में 50 हजार से ज्यादा छात्राओं को 5 करोड़ रुपये से ज्यादा की आवागमन राशि दी गई। शासकीय कॉलेजों के भवन निर्माण एवं अतिरिक्त निर्माण कार्यों पर करीब 2500 करोड़ रुपये व्यय किये जा रहे हैं।

45. मेरी सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के सहयोग से तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास नीति में जरूरी बदलाव किये गये हैं। गत सत्र में 33 शासकीय आईटीआई में 66 नये पाठ्यक्रम शुरू किये गये हैं। इससे 1700 सीट की वृद्धि हुई है। साथ ही 130 निजी नयी आईटीआई खुली हैं। जिला स्तर की सभी आईटीआई के ट्रेड्स की एनसीव्हीटी से संबद्धता की कार्यवाही प्रचलन में है। भोपाल में "इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर" प्रारम्भ किया गया है।

46. मेरी सरकार ने "कारीगर समृद्धि योजना" लागू की है। इसमें कारीगरों के कौशल ज्ञान का प्रमाणीकरण किया जायेगा। शुरू में निर्माण क्षेत्र के 5000

कारीगरों के प्रमाणीकरण की कार्यवाही प्रचलन में है। 70 आईटीआई के भवनों का निर्माण हो रहा है। इसके बाद सभी आईटीआई में स्वयं के भवन उपलब्ध होंगे।

47. मेरी सरकार ने प्रदेश के सभी शहरों में पीने का साफ पानी सुलभ करवाने के उद्देश्य से "मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना" शुरू की है। प्रदेश के नगरों के लिए करीब 4500 करोड़ की 222 परियोजनाएँ मंजूर की गईं हैं। शेष 155 नगरीय निकायों में स्थायी सतही जल-स्रोत से पेयजल उपलब्ध करवाने की कार्यवाही प्रचलित है। सरकार ने नगरीय निकायों को 1121 करोड़ की सहायता लंबित कामों को पूरा करने के लिए दी है।

48. राज्य सरकार द्वारा दो साल पहले ही मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन शुरू किया जा चुका है। मेरी सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में वर्ष 2017 तक "खुले में शौच" को पूरी तरह से समाप्त किया जाएेगा। जन-निजी भागीदारी के जरिये क्षेत्रीय आधार पर एकीकृत नगरीय ठोस

अपशिष्ट प्रबंधन कार्ययोजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।

49. मेरी सरकार द्वारा "मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास कार्यक्रम" में 264 नगरीय निकायों में 1428 करोड़ की लागत से सड़क, उद्यान, फुटपाथ, नाली निर्माण, स्ट्रीट लाईट आदि के कार्य किये जा रहे हैं।

50. सरकार का यह प्रयास है कि सिंहस्थ 2016 में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएँ मिलें। सिंहस्थ का मास्टर प्लान बनाया गया है। रेलवे ओव्हर ब्रिज, पुल, सीमेंट-कांक्रीट सड़क आदि बड़े कार्यों का निर्माण पहले ही शुरू किया जा चुका है। अब तक रुपये 2205 करोड़ के कार्यों की मंजूरी दे दी गई है। उज्जैन के अलावा इंदौर, देवास, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंदसौर में अधोसंरचना विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। क्षिप्रा को प्रवाहमान बनाने के लिए नर्मदा-क्षिप्रा लिंक परियोजना क्रियान्वित की गई है।

51. इन्दौर, देवास एवं उज्जैन शहरों के सीवरेज प्रबंधन के लिए लगभग रुपये 700 करोड़ के काम किये जा रहे हैं।

52. मेरी सरकार ने शहरी गरीबों को घर देने के लिए वर्ष 2018 तक 5 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा है। अभी 1500 करोड़ रुपये की लागत से 60 हजार घर बनाये जा रहे हैं। भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर, रतलाम, खण्डवा, बुरहानपुर, देवास, कटनी, रीवा, सतना, सिंगरौली, छिन्दवाड़ा एवं नीमच में 861 करोड़ की लागत से 15 हजार 707 घर बनाने की मंजूरी दी जा चुकी है।

53. मेरी सरकार द्वारा भोपाल नगर निगम, में नागरिकों की सुविधा के लिए म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एवं ई-नगर पालिका परियोजना शुरू की गयी है।

54. जिओग्राफिकल इनफोर्मेशन सिस्टम द्वारा सेटेलाइट नक्शे के माध्यम से घर-घर सर्वे का काम शुरू किया गया है। इससे कई नगरीय निकायों में

सम्पत्ति कर की वसूली में 50 से 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राज्य नगरीय राजस्व सेवा का गठन अंतिम चरण में है। मानव संसाधन की कमी को दूर करने के लिए सभी नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर परिषद की आदर्श संरचना मंजूर की गयी है। प्रशासकीय, यांत्रिकी, लेखा एवं वित्त और स्वच्छता सेवाओं का गठन किया गया है।

55. मेरी सरकार ने 5,822 साइकिल रिक्शा चालकों एवं 36 हजार हाथठेला चालकों को बैंक से वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायी है। 53 हजार से ज्यादा शहरी घरेलू कामकाजी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। मुख्यमंत्री पथ पर विक्रय करने वाले शहरी गरीबों की कल्याण योजना का लाभ 17 हजार से अधिक हितग्राहियों को मिला। केश शिल्पी कल्याण योजना में 1000 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं।

56. मेरी सरकार ने सुगम लोक परिवहन को मिशन के रूप में लिया है। प्रदेश के 20 शहरों में लोक परिवहन सेवा के विस्तार एवं विकास के लिए 1500 बसों की खरीदी प्रस्तावित है। भोपाल एवं

इन्दौर के लिए देश में प्रथम लाईट मेट्रो सिस्टम की डीपीआर बन रही है। जबलपुर तथा ग्वालियर के लिए फिजिबिलिटी स्टडी शुरू की गयी है।

57. मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में स्वास्थ्य शामिल है। इस साल से प्रदेश में अपने ढंग की अनोखी स्वास्थ्य सेवा गारंटी योजना शुरू कर 18 स्वास्थ्य सेवाओं को शामिल किया गया।

58. जननी एक्सप्रेस योजना में इस साल दिसम्बर तक 9 लाख गर्भवती महिलाओं द्वारा योजना का लाभ लिया गया। संस्थागत प्रसव का प्रतिशत 87 तक हो गया है। गर्भवती महिलाओं को प्रसव एवं बीमार नवजात को नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करवाने जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है। मातृ मृत्यु दर 269 से घटकर अब 221 तथा शिशु मृत्यु दर 59 से घटकर 54 हो गई है, यह शिशु मृत्यु दर की देश में सब से तीव्रतम गिरावट है। हर जिले में "किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक' की स्थापना की गई है। क्लीनिक से अब तक 98 हजार किशोर/किशोरियों को सलाह एवं

उपचार सेवाएँ दी गई हैं। कुल 53 नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाइयाँ स्थापित की जा चुकी हैं।

59. प्रदेश में कुल 316 पोषण-पुनर्वास केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं।

60. मेरी सरकार द्वारा राज्य में सरदार वल्लभ भाई नि:शुल्क औषधि वितरण योजना को अत्याधिक सफलता के साथ संचालित किया जा रहा है। इस योजना में प्रतिदिन लगभग 6-7 लाख नागरिक उच्च गुणवत्ता की औषधियों से लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना के प्रारम्भ के उपरान्त शासकीय अस्पतालों में मरीजों की उपस्थिति में विगत दो वर्षों में 86% की वृद्धि हुयी है। योजना की अपार सफलता से उत्साहित होकर मेरी सरकार ने राज्य के सभी जिला चिकित्सालयों में कैंसर हेतु किमोथेरेपी तथा औषधियाँ, थैलेसीमिया तथा हिमोफिलिया की नि:शुल्क औषधियाँ, डायबिटिज, रक्तचाप तथा हृदय रोगों हेतु नि:शुल्क औषधियाँ प्रदान करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

61. राज्य बीमारी सहायता निधि योजना से इस साल 1772 हितग्राही को लाभ मिला। "मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना" का 271 हितग्राही को लाभ मिला। विजन सेंटरों की स्थापना की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में 49 हजार आशा कार्यकर्ताओं को मलेरिया रोगियों के उपचार का प्रशिक्षण देकर बुखार उपचार केन्द्रों की स्थापना की गयी।

62. मेरी सरकार परम्परागत चिकित्सा पद्धतियों के संरक्षण और बड़ी आबादी को स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है। आयुष पद्धति में मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्यक्रम लागू है। प्रथम चरण में 200 आयुष औषधालय खोलने के लिए ग्रामों का चयन कर लिया गया है। 877 आयुष चिकित्सक के रिक्त पदों की पूर्ति की कार्रवाई प्रचलित है।

63. बी.ओ.टी. (एन्यूटी) मोड में 861 करोड़ की लागत से शहडोल, रतलाम एवं विदिशा में 3 मेडिकल कॉलेज का निर्माण प्रस्तावित है। इनके माध्यम से

2000 बिस्तर की चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध होगी।

64. भारत सरकार के सहयोग से 7 स्थानों पर नये चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाने की अनुमति मिल गयी है। ग्वालियर शहर में 1000 बिस्तरीय अस्पताल की डी.पी.आर. तैयार हो गई है। भोपाल के हमीदिया चिकित्सालय की जगह नवीन 2000 बिस्तरीय अस्पताल का निर्माण करवाया जायेगा। इसके लिए प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय को 150 करोड़ की सहायता प्राप्त होगी। गाँधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल में गामा कैंसर मशीन की स्थापना की जा चुकी है। चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर में पाँच करोड़ की सी.टी. स्केन यूनिट स्थापित हो रही है।

65. मेरी सरकार ने विभिन्न स्व-रोजगार योजनाओं का युक्तियुक्तकरण कर 3 नवीन योजनाएँ - "मुख्यमंत्री युवा उद्यमी", "मुख्यमंत्री स्व-रोजगार" तथा "मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना" शुरू की हैं। युवा उद्यमी योजना में रुपये 10 लाख से एक करोड़

तक की परियोजना को स्वीकृत किया जायेगा। दिसम्बर, 2014 तक जॉब फेयर के माध्यम से 31 हजार 894 आवेदकों को नियुक्ति मिली है। नयी उद्योग संवर्धन नीति लागू की गई है। निवेश संवर्धन, पूँजी निवेश आकर्षित करने तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि के उद्देश्य से प्रधानमंत्रीजी द्वारा उद्घाटित इन्दौर की ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2014 सफल रही है। समिट में 32 देश के प्रतिनिधि तथा 9 देश पार्टनर कन्ट्री के रूप में सहभागी रहे, 28 देश के राजदूत, उच्च आयुक्त शामिल हुए। समिट में कुल 5.89 लाख करोड़ रुपये के 3176 प्रस्ताव मिले हैं।

66. मेरी सरकार द्वारा नये उद्यमियों द्वारा नवाचार पर आधारित उद्योग/व्यवसाय/सेवाओं को शुरू में जरूरी अंशपूँजी की पूर्ति के लिये एम.एस. एम.ई. क्षेत्र के लिए 100 करोड़ का वेंचर केपिटल फण्ड बनाया जा रहा है।

67. प्रदेश राष्ट्र के आठ खनिज सम्पन्न राज्यों में से एक है। मेरी सरकार इस सम्पदा के संतुलित दोहन

के प्रति सजग है। इस वर्ष सतना जिले में चूना पत्थर, अनूपपुर जिले में उत्पादन आधारित कोयला, झाबुआ जिले में राकफास्फेट एवं रीवा जिले में सिलिका सेण्ड पूर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। पन्ना जिले में डायमण्डीफेरस ग्रेवल/ काग्लोमेरेट के चिन्हांकन तथा गुना जिले में लेटेराईट का तथा डिण्डौरी जिले में बाक्साईट का सर्वेक्षण तथा चिन्हांकन किया जा रहा है। राज्य के 5 हजार 689 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हीरा एवं बहुमूल्य खनिजों की खोज के लिए 9 रिकोनेसेन्स परमिट कार्यरत हैं। कोल बेड मीथेन की खोज के लिए पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लायसेंस मंजूर किये गये हैं।

68. मेरी सरकार कुटीर और ग्रामोद्योगों के विकास के प्रति सजग है। आदमपुर छावनी भोपाल में माटी-शिल्प के प्रशिक्षण और सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना की जा रही है। पचमढ़ी में सिल्क म्यूजियम की स्थापना होगी। खादी वस्त्रों के लिए "कबीरा" ब्राण्ड को लांच किया जा रहा है।

69. इस वर्ष कुल 7593 बसाहट में पेयजल की व्यवस्था की गई है। बड़े ग्रामों में दिसम्बर, 2014 तक 1431 योजनाएँ पूरी की गई। प्रदेश में 55 लीटर प्रति व्यक्ति के मान से 97 हजार 867 ग्रामीण बसाहट में जल आपूर्ति व्यवस्था की जा चुकी है। सतही स्रोत आधारित 1000 करोड़ लागत की 14 समूह योजना शुरू की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम में 7500 ग्रामीण बसाहट को नलकूप खनन एवं 2000 बसाहट को नल-जल प्रदाय योजनाओं द्वारा पेयजल प्रदाय के कार्य प्रस्तावित हैं। मेरी सरकार अगले चार साल में ग्रामीण क्षेत्रों में हर परिवार को कम से कम 55 लीटर प्रतिव्यक्ति रोजाना के मान से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए शेष 29 हजार बसाहट को कवर करेगी।

70. मेरी सरकार अनुसूचित जाति के कल्याण और उनके सर्वांगीण विकास के लिए कृत-संकल्पित है। इस वर्ष कौशल उन्नयन, मुख्यमंत्री स्व-रोजगार एवं मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजनाओं के

अंतर्गत अब तक 10 हजार हितग्राहियों को लाभ दिया जा चुका है। विद्यार्थियों के लिये 1713 छात्रावास एवं आश्रम संचालित हैं। इस वर्ष 179 अतिरिक्त प्री-मेट्रिक छात्रावास स्वीकृत कर 8950 विद्यार्थियों को शैक्षणिक और आवासीय सुविधा दी गई। पचास सीट क्षमता के 13 नये पोस्ट-मेट्रिक छात्रावास मंजूर किये गये। कॉलेजों में पढ़ रहे 10 हजार से ज्यादा विद्यार्थियों को आवास सहायता योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस साल 70 प्री-मेट्रिक कन्या छात्रावास भवनों का निर्माण करवाया जा रहा है। दिल्ली में प्रतिष्ठित संस्थाओं में 85 विद्यार्थी अखिल भारतीय सिविल सेवाओं की कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं।

71. मेरी सरकार अनुसूचित-जनजाति के युवाओं के शैक्षणिक विकास पर भरपूर ध्यान दे रही है। इस वर्ष 6,500 युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दस नवीन प्री-मेट्रिक छात्रावासों को मंजूरी दी गई है। छात्रावासों तथा आश्रमों में छात्र-छात्राओं की शिष्यवृत्ति को मूल्य सूचकांक से जोड़ा गया है।

40 हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन किया गया और 20 अतिरिक्त संकाय जोड़े गये हैं।

72. न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत वाले जिलों में 20 नये कन्या शिक्षा परिसर मंजूर किये गये हैं। परिसरों में आदिवासी बालिकाएँ कक्षा 6 से 12वीं तक शिक्षा और आवासीय सुविधा प्राप्त करेंगी। कक्षा 6 और 9 में प्रवेश लेने वाली कन्याओं की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाया गया है। उच्च शिक्षा के लिये अनुसूचित-जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की आवास समस्या के हल के लिये आवास सहायता दी जा रही है।

73. इंजीनियरिंग और मेडिकल परीक्षाओं के लिये अनुसूचित-जनजाति के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय-स्तर की संस्थाओं में प्रशिक्षण दिलवाया जा रहा है।

74. अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों की योजनाओं के लिए प्रावधानित राशि कुल राज्य आयोजना में उनकी आबादी के प्रतिशत से अधिक रखी जा रही है।

75. मेरी सरकार ने प्रदेश में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन किया है। सरकार का यह संकल्प है कि एक भी पात्रताधारी, वन अधिकारों से वंचित न रहे। प्रदेश में अब तक कुल 1 लाख 97 हजार अधिकार-पत्र दे दिये गये हैं। अधिकार धारकों को कृषि संबंधी अन्य सुविधाएँ भी दी जा रही हैं।

76. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रावासी छात्र/छात्राओं को भी अब 12 किलो 500 ग्राम प्रति छात्र के मान से 1 रुपये प्रति किलो की दर से खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा रहा है। पहले यह दर 5 रुपये प्रति किलो थी। इससे प्रदेश के अनुसूचित जाति के 73 हजार 545 एवं अनुसूचित जनजाति के 1 लाख 68 हजार 159 छात्र/छात्राएँ लाभान्वित हो रहे हैं।

77. विशेष भर्ती अभियान में अब तक अनुसूचित जाति के 12 हजार 120, अनुसूचित जनजाति के 22 हजार 325 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 7320, कुल

41 हजार 765 पदों की पूर्ति की जा चुकी है। जाति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी विषय लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में शामिल करते हुए ऑनलाईन डिजिटल हस्ताक्षर से जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्गों के छात्र-छात्राओं को स्कूल में ही आवेदन लेकर डिजिटाईल लेमिनेटेड जाति प्रमाण-पत्र वितरित करने का विशेष अभियान प्रारम्भ किया गया है। अब तक लगभग 23 लाख डिजिटाईल जाति प्रमाण-पत्र जारी किये जा चुके हैं। निःशक्तजन के लिए आरक्षित रिक्त पद की पूर्ति की वॉक-इन-इंटरव्यू की नीति बनाई गई है।

78. मेरी सरकार ने इस वर्ष से विमुक्त, घुमक्कड़ और अर्द्ध-घुमक्कड़ जातियों के उत्थान के लिए नयी योजनाएँ मंजूर की हैं। विद्यार्थियों को आवास भाड़ा भत्ता, माध्यमिक शिक्षा मंडल एवं व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की परीक्षाओं की फीस की प्रतिपूर्ति, बस्तियों में विद्युतीकरण तथा समाज सेवकों को पुरस्कार जैसी योजनाएँ लागू की गई हैं। इन

जातियों के जाति प्रमाण-पत्र बनाने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है।

79. मेरी सरकार पिछड़ा और अल्प-संख्यक वर्ग के कल्याण के प्रति सजग और सक्रिय है। वर्ष 2014-15 में पिछड़ा वर्ग के साढ़े चार लाख विद्यार्थियों को रुपये 545 करोड़ से ज्यादा की छात्रवृत्ति दी गई। प्रदेश में 46 कन्या छात्रावास भवनों तथा 32 बालक छात्रावास भवनों का निर्माण पूरा हो गया है।

80. इस साल प्रदेश से 3,248 आवेदकों को हज-यात्रा पर भेजा गया। प्रदेश में अल्प-संख्यक विद्यार्थियों को 6 करोड़ से ज्यादा की प्री-मेट्रिक छात्रवृत्ति, 11 हजार से अधिक विद्यार्थियों को रुपये 7 करोड़ 79 लाख से ज्यादा की पोस्ट-मेट्रिक छात्रवृत्ति और 1391 विद्यार्थियों को रुपये 4 करोड़ 16 लाख की मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति दी गई। अल्प-संख्यक वर्ग की कन्याओं के लिये भोपाल में 4 कन्या छात्रावास का निर्माण प्रगति पर है।

81. मेरी सरकार ने एक मार्च, 2014 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधान अनुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किया। पात्र परिवारों में अन्त्योदय अन्न योजना तथा प्राथमिकता परिवार के रूप में सभी बीपीएल परिवार के साथ 23 अन्य श्रेणी के गैर-बीपीएल परिवारों को भी शामिल किया गया है। इससे कुल 1 करोड़ 17 लाख परिवारों के कुल 5 करोड़ 28 लाख सदस्य 1 रुपये प्रति किलो खाद्यान्न, नमक तथा रियायती दर पर शक्कर से लाभान्वित हो रहे हैं।

82. प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने, आवश्यक वस्तुओं के तेज परिवहन, दुकान स्तर पर नियमित उपलब्धता एवं आवश्यक वस्तुओं के व्यपवर्तन पर नियंत्रण के लिये "द्वार प्रदाय योजना" लगभग तीन चौथाई क्षेत्र में प्रारम्भ कर दी गई है।

83. वर्ष 2014-15 में 72.01 लाख मीट्रिक टन गेहूँ, 11.92 लाख मीट्रिक टन धान एवं 3.02 लाख

मीट्रिक टन मक्का की खरीदी न्यूनतम समर्थन व्यवस्था के अंतर्गत की गयी है। किसानों को समस्त उपार्जन प्रक्रिया में 13,190 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

84. मेरी सरकार की महिला-बाल विकास के प्रति संवेदनशीलता कहने की बात नहीं है। सरकार ने इस साल बहुप्रशंसित लाड़ली लक्ष्मी योजना को व्यवहारिक बनाने के लिये नया स्वरूप दिया।

85. महिलाओं और बालिकाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा में कमी लाने तथा कुरीतियों को जड़ से समाप्त करने के लिए 20 जिलों में शौर्या-दल का गठन किया गया। महिला हिंसा के प्रकरणों में 30.32 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना में 456 महिला और बालिका को लाभान्वित किया गया। आज प्रदेश के बजट में जेण्डर बजट का प्रावधान 28.5 प्रतिशत हो गया है। मेरी सरकार के "बेटी बचाओ अभियान" के परिणाम भी सकारात्मक प्राप्त हुए हैं। 0 से 4 वर्ष के शिशु लिंग अनुपात

में लगातार वृद्धि हो रही है, जो कि अब 916 हो गई है।

86. मेरी सरकार द्वारा प्रदेश में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों पर कड़ी कार्रवाई का तंत्र बनाया है। राज्य स्तरीय महिला हेल्प लाईन 1090 में वर्ष 2014 में प्राप्त 23 हजार 340 शिकायत में से 23 हजार 339 का निराकरण किया गया। गंभीर अपराधों को चिन्हित कर मॉनिटरिंग की विशेष व्यवस्था सरकार ने की है।

87. समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन के "सुपोषण अभियान" में इस वर्ष चिन्हित बच्चों में से लगभग 85.82 प्रतिशत बच्चों के वजन में वृद्धि हुई और पोषण स्तर में सुधार आया है। "आँगनवाड़ी चलो अभियान" एवं "बाल स्वच्छता कार्यक्रम" को व्यापक सफलता मिली।

88. मेरी सरकार ने अपने स्वयं के संसाधनों के विकास के लिए जो ठोस प्रयास किये उसके परिणाम स्वरूप हमारे राजस्व संग्रहण में काफी वृद्धि हुई है।

वर्ष 2014-15 में अप्रैल से दिसम्बर तक पूर्व वर्ष की तुलना में 11.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

89. एसएमएस के जरिये व्यवसाइयों को फार्म 49 डाउनलोड करने की सुविधा दी गई है। ऑनलाइन ट्रांसशिपमेंट सुविधा भी शुरू की गई है। छोटे व्यवसाइयों को ज्यादा से ज्यादा स्व-कर निर्धारण की सुविधा दी गई है।

90. प्रदेश के 5 जिलों- उज्जैन, सीहोर, अनूपपुर, बालाघाट और टीकमगढ़ में उप पंजीयक कार्यालय में ई-स्टाम्पिंग और पंजीयन के लिए जरूरी सौ फीसदी दस्तावेजों के ई-पंजीयन की व्यवस्था की गई है। इसका विस्तार पूरे प्रदेश में किया जावेगा। स्टाम्प तथा पंजीयन शुल्क की दरों का युक्तियुक्तकरण कर नयी दरें प्रभावी की गई हैं।

91. मेरी सरकार प्राकृतिक आपदाओं में पीड़ितों के साथ खड़ी रही है। वर्ष 2013-14 और 2014-15 में पीड़ितों को 3200 करोड़ से ज्यादा की राहत राशि वितरित की गई है। भूमि नक्शों का डिजिटाईजेशन सभी जिलों में पूरा हो गया है। अभिलेखों की

ऑनलाईन उपलब्धता का माड्यूल भी तैयार हो गया है। भूमि व्यपवर्तन के नवीन नियम जारी हो गये हैं। आपसी सहमति से भूमि क्रय करने की और शहरी लीज नवीनीकरण की नयी नीति लागू कर दी गई है।

92. निवेशकों की सुविधा के लिए भूमि आवंटन, अभिहस्तांकन, बंधक नीतियाँ, लैण्ड बैंक की जानकारी विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हो गई है। लम्बे समय से चले आ रहे अनाधिकृत कब्जों को जनहित में व्यवस्थापित करने के लिए भू-राजस्व संहिता, 1959 में संशोधन कर नई धारा 162 जोड़ी गई। धारा के प्रारूप नियम तैयार हो गये हैं।

93. इस साल प्रदेश में 98 हजार 780 हेक्टेयर क्षेत्र में 8 करोड़ 67 लाख पौधे रोपे गये। पहली बार रोपित पौधों का गुणात्मक मानकीकरण किया गया। पर्यावरण में सुधार की योजनाएँ तैयार की गई। प्रदेश में एक दिवसीय वृक्षारोपण में वन भूमि/विद्यालय, महाविद्यालय, सामुदायिक स्थल,

निजी भूमि पर 13 हजार स्थानों पर लगभग डेढ़ करोड़ पौध रोपे गये। प्रदेश में बाँस वनों का विकास जन-आंदोलन के रूप में किया जा रहा है। बाँस मिशन में एक वर्ष की अवधि में 1000 हेक्टेयर में बिगड़े बाँस वनों का सुधार तथा 5300 हेक्टेयर क्षेत्र में बाँस रोपण किया गया है। कुल 700 लोगों को बाँस शिल्प प्रशिक्षण दिया गया है।

94. मेरी सरकार वन संपदा, जैव विविधता तथा विभिन्न कृषि जलवायु प्रक्षेत्रों से समृद्ध हमारे प्रदेश में जलवायु में बदलाव से संबंधी आँकड़ों के एकत्रीकरण और विश्लेषण के लिये जलवायु परिवर्तन शोध केन्द्र की स्थापना करने जा रही है।

95. मेरी सरकार समाज के कमजोर वर्गों के लिये संचालित योजनाओं का पूरी दक्षता से क्रियान्वयन कर रही है। वर्ष 2014-15 में राष्ट्रीय इंदिरा गाँधी वृद्धावस्था पेंशन योजना का 13 लाख 92 हजार लोगों को लाभ दिया गया। इसी तरह विधवा महिलाओं को 79 करोड़ 46 लाख 96 हजार की राशि दी गई। अस्सी प्रतिशत से अधिक नि:शक्तता

वाले 92 हजार 290 नि:शक्तजनों को पेंशन दी गई।

96. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में इस वर्ष अब तक 17 हजार से ज्यादा जोड़ों का विवाह तथा निकाह योजना में 251 जोड़ों का निकाह करवाया गया। मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना में करीब पाँच हजार खेतिहर मजदूरों का पंजीयन कर उन्हें 12 करोड़ 29 लाख रुपये की सहायता दी गई। इस साल 3600 हितग्राही को 3 करोड़ से अधिक की सहायता नि:शक्त कल्याण में दी गई।

97. मेरी सरकार खेल-कूद के क्षेत्र में प्रदेश की नयी पहचान बनाने में सफल रही है। वर्ष 2014 में प्रदेश के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में 184 पदक जीते।

98. मेरी सरकार ने प्रदेश में वर्ष 2008 के बाद अक्टूबर 2014 से श्रमिकों के सभी वर्गों के लिए केन्द्र की दरों के अनुपात में न्यूनतम वेतन में वृद्धि की है। कुल 28 नये नियोजन में पहली बार न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया। वर्ष 2003 से

अब तक प्रदेश में 24 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण कर कुल 400 करोड़ से ज्यादा का हितलाभ दिया गया।

99. मेरी सरकार द्वारा श्रम कानूनों में व्यावहारिक एवं जरूरी बदलाव किये जा रहे हैं जो कि श्रमिकों और निवेशकों दोनों के हित में हैं। इससे उद्योग और व्यवसाय को बढावा मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958, श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 एवं औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1961 में श्रमिक हितैषी प्रावधान जोड़ने तथा प्रक्रियाओं को सरल बनाने के संशोधन प्रभावशील किये गये हैं। श्रमिकों की सेवानिवृत्ति आयु भी 58 से 60 वर्ष की गई है। कारखाना अधिनियम तथा व्यावसायिक स्थापना के लिए स्व-प्रमाणीकरण योजना शुरू की गई है।

100. भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर एवं इंदौर में 100 करोड़ की लागत से श्रमोदय विद्यालयों का निर्माण

भी प्रस्तावित है। भोपाल में विद्यालय का निर्माण शुरू हो गया है।

101. मेरी सरकार सुशासन के लिए संकल्पित है। सूचना प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस कार्यप्रणाली का अधिकाधिक उपयोग किया गया है। स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क, स्टेट डाटा सेंटर तथा जी.आई.एस. जैसी अधोसंरचनाएँ उपलब्ध करवाई गई हैं। प्रदेश के चार बड़े नगरों में आई.टी. पार्क तथा इलेक्ट्रॉनिक मेन्युफेक्चरिंग क्लस्टर्स और ई-गवर्नेंस प्रशिक्षण के क्षेत्रीय दक्षता संवर्धन केन्द्रों की स्थापना के कार्य प्रगति पर हैं।

102. शासकीय सेवकों को छठवें वेतनमान के एरियर का पूरा भुगतान हो गया है। शासकीय सेवकों को मँहगाई भत्ता केन्द्र शासन के बराबर एवं समय पर दिया जा रहा है।

103. प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 336 लोक सेवा केन्द्र स्थापित कर अधिसूचित सेवाओं को आम नागरिकों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। पहले से अधिसूचित 21 विभाग की 102 सेवाओं को बढ़ाकर

इस साल 22 विभाग की 124 सेवाएँ अधिसूचित की जा चुकी हैं। लोक सेवा केन्द्रों के जरिए अब 16 विभाग की 68 सेवाएँ नागरिकों को ऑनलाइन दी जा रही हैं।

104. मेरी सरकार ने प्रदेश में स्व-घोषणा-पत्र और स्व-प्रमाणीकरण की व्यवस्था लागू की है। आय प्रमाण-पत्र एवं स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र के स्थान पर आम नागरिक अपने स्वयं का हस्ताक्षरित घोषणा-पत्र देकर नागरिक सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। नागरिक सुविधाओं के लिए स्टाम्प पेपर या नोटरी से नोटराईज कराकर शपथ-पत्र देना आवश्यक नहीं होगा। सरकार द्वारा इस साल कर्मचारियों को तृतीय समयमान वेतनमान दिया गया है। अनुकम्पा नियुक्ति नियमों को भी और सरल किया गया है।

105. मेरी सरकार ने आम जनता को सुविधा और राहत पहुँचाने के लिए अनेक कदम उठाये हैं। सीएम हेल्पलाइन सुशासन की एक नई कड़ी है। यह नागरिक समस्याओं के हल तथा योजनाओं की

जानकारी लेने में कारगर हुई है। अभी तक 6 लाख से अधिक शिकायतों का निराकरण किया गया है।

106. मेरी सरकार प्रदेश की बहुवर्णी संस्कृति के संरक्षण, संवर्द्धन के प्रति सजग है। भारत भवन में देश के सभी राज्यों के सांस्कृतिक उत्सवों के आयोजनों को अच्छा प्रतिसाद मिला है।

107. रेडियो आजाद हिन्द, थर्ड द ईएनजीओ चेलेन्ज साउथ एशिया 2014 अवार्ड से सम्मानित हुआ है। जन-नायक टंट्या भील और आदिवासी नायक भीमा-नायक की जन्म-स्थली पर स्मारकों का निर्माण अंतिम चरण में है। सेना के चंपालाल मालवीय एवं ओमप्रकाश मर्दानिया की स्मृति में तथा गोंड साम्राज्य के स्मारक/स्तंभ निर्माण का कार्य प्रचलित है।

108. मेरी सरकार देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर प्रदेश की विशेष पहचान बनाने में सफल रही है। प्रदेश में पर्यटन अधोसंरचना के विकास, पर्यटक सुविधाओं के विस्तार और नवाचारी प्रयोगों का काम जारी है। पर्यटन भूमियों को

पीपीपी में आवंटित करने के लिये मूल्य में 50 प्रतिशत रियायत, बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं के पास गिरवी रखने और भूमि समर्पण की सुविधा दी गई है। प्रदेश को वायु सेवा से जोड़ने की नीति भी बनायी गयी है।

109. मेरी सरकार ने सिविल न्यायाधीश वर्ग 2 और 1 के 86 न्यायालय स्थापित किये हैं। 20 जिला मुख्यालयों पर कुटुम्ब न्यायालय स्थापित होकर कार्य प्रारम्भ कर चुके हैं। जिलों में महिला उत्पीड़न से संबंधित मामलों के शीघ्र निराकरण के उद्देश्य से अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश को कार्य दिया जा चुका है।

110. मेरी सरकार के द्वारा प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ बनाये रखी गयी। इस वर्ष सभी त्यौहारों पर सौहार्द कायम रहा। इस साल लोक सभा और हाल ही में नगरीय निकाय के चुनाव भी शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हुए हैं। मेरी सरकार के विकासोन्मुखी प्रयासों और पुलिस की प्रभावी कार्यवाही से नक्सल समस्या को नियंत्रित करने में

हम सफल रहे हैं। अपराधों पर नियंत्रण के लिए लगातार प्रभावी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश में पुलिस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिये पुलिस समेकित बल वृद्धि योजना में पांच हजार नये पद सृजित किये गये हैं।

111. इस समवेत सदन की, देश के विधायी सदनों में एक अलग गरिमा और पहचान रही है। इस सदन द्वारा जनहित में बनाये कानूनों और नीतियों से ही प्रदेश अपने आज के मुकाम पर पहुँचा है। अंत में मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ कि सभी सम्मानित सदस्य अपना योगदान देकर प्रदेश को निरन्तर प्रगति के पथ पर ले जायेंगे।

जय हिन्द. जय मध्यप्रदेश.*

श्री कैलाश विजयवर्गीय -- माननीय अध्यक्ष महोदय बहुत शर्मनाक है. जिस तरह से विपक्ष ने आज कृत्य किया है माननीय को अपमानित करने का काम किया है. सदन विपक्ष की निंदा करता है.

(माननीय राज्यपाल महोदय ने चल समारोह के साथ सदन से प्रस्थान किया)

(*) माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा अभिभाषण का पैरा क्रमांक (1) तथा (111) पढ़ा गया तथा शेष पैरा (2) से 110 पढ़े हुए माने गये.

10.53

{अध्यक्ष महोदय(डॉ.सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुये}

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) -- माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष द्वारा राज्यपाल महोदय के साथ जो व्यवहार किया गया है, वह घोर निंदनीय है.

पशुपालन मंत्री(सुश्री कुसुम सिंह महदेले) -- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विपक्ष का बहुत ही निंदनीय कृत्य है और इनके विरूद्ध निंदा का प्रस्ताव पारित होना चाहिये.

संसदीय कार्य मंत्री(डॉ. नरोत्तम मिश्र)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष के द्वारा आज मान्य परम्परा का भी पालन नहीं किया गया. एक जुलूस/चल समारोह की शक्ल में जाने के लिये आपके यहां से भी विधिवत परिपत्र जारी होता है .यह मान्य परम्परा है कि हम सामान्य शिष्टाचार का पालन करते हैं. लेकिन विपक्ष के द्वारा न तो सामान्य शिष्टाचार का पालन किया गया , न मान्य परम्पराओं का पालन किया गया. आपके यहां से परिपत्र जाने के बाद भी नेता प्रतिपक्ष राज्यपाल महोदय को छोड़ने नहीं गये जिसकी मैं घोर शब्दों में भर्त्सना करता हूं.

परिवहन मंत्री(श्री भूपेन्द्र सिंह) -- अध्यक्ष जी, विधानसभा में इतना गैर जिम्मेदार विपक्ष आज तक नहीं हुआ. राज्यपाल महोदय का अभिभाषण विकास का एजेंडा होता है और कांग्रेस का विकास से कोई संबंध नहीं है विकास पर यह बात नहीं करना चाहते हैं. इसकी हम लोग बहुत निंदा करते हैं.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा -- अध्यक्ष महोदय, हजारों युवकों के साथ आपने खिलवाड़ किया है. (व्यवधान). उसके बाद भी आप जिम्मेदार पक्ष की तरह से व्यवहार नहीं कर रहे हैं.

नगरीय विकास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) -- अध्यक्ष महोदय, कोई भी सरकार हो, माननीय राज्यपाल महोदय उसके मुखिया होते हैं. सरकार कोई भी हो और हमारे यहां प्रजातंत्र में एक परम्परा रही है कि जब भी यहां पर माननीय राज्यपाल महोदय आये हैं, पूरा सदन उनका स्वागत करता है. अध्यक्ष महोदय, स्वागत करना तो दूर, उनको अपमानित किया गया है. माननीय राज्यपाल महोदय पर आरोप लगाया गया है. मध्यप्रदेश के इतिहास में, मध्यप्रदेश विधान सभा के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि माननीय राज्यपाल महोदय के ऊपर यहां पर आरोप लगाया गया है और गैर जिम्मेदाराना आरोप, शर्मनाक आरोप लगाया गया है. प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप लगाये, एक बार चलता है. प्रजातंत्र के अन्दर सत्तापक्ष के ऊपर आरोप लगाया जा सकता है. किसी मंत्री के खिलाफ आरोप लगाया जा सकता है, पर इस सदन के अन्दर माननीय राज्यपाल महोदय के खिलाफ आरोप लगाना, मैं इसकी निन्दा करता हूं.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) -- अध्यक्ष महोदय, और वह राज्यपाल महोदय जो आपकी यूपीए की सरकार में नियुक्त हुए थे, उनका भी आप सम्मान नहीं कर सकते. तो फिर आप किसका सम्मान करेंगे.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा -- अध्यक्ष महोदय, इसमें राज्यपाल जी के ओएसडी गिरफ्तार हुए हैं और राज्यपाल जी के पुत्र का नाम आया है. इसलिये उनको इस्तीफा देना चाहिये.

अध्यक्ष महोदय -- कृपया बैठ जायें.

10.47 बजे **राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव**

श्रीमती अर्चना चिटनिस (बुरहानपुर) -- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करती हूं कि :-

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिये मध्यप्रदेश की विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यंत कृतज्ञ हैं."

श्री रामेश्वर शर्मा (हुजूर) -- अध्यक्ष महोदय, मैं, इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं.

अध्यक्ष महोदय - प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि -

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिये मध्यप्रदेश की विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यंत कृतज्ञ हैं."

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिये मैं, दिनांक 20, 23 एवं 24 फरवरी, 2015 का समय नियत करता हूं.

जो माननीय सदस्य कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में संशोधन देना चाहते हों, वे आज दिनांक 18 फरवरी,2015 को अपराह्न 4.00 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दे सकते हैं.

विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनाँक 19 फरवरी, 2015 के प्रात: 10.30 बजे तक के लिए स्थगित.

पूर्वाह्न 10.58 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनाँक 19 फरवरी, 2015 (30 माघ, शक संवत् 1936) के प्रात: 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भोपाल,
दिनांक : 18 फरवरी,2015

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा